हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स्स जज	नम्बर व तारीख अह की जो इस हुक्म व तामिल में जारी कि

स्वीकार किया जाता है।
उभय विवेचन एवं विश्लेषण
के आधार पर कोर्ट का वाद पत्र
स्वीकार किया जाता है अतः वी.
खातेदारी ट्रैक्टर 4 L OM का कुल
2 एकड़ 246/414 के कि० का 1/4 25/2
का कुल C. 198 है० कृषाज खातेदारी एकल
के प्रतिवादगण एवं अन्य के माध्यम
से किसी प्रकार की मडाबलात न करे
इस आशय की अंतिम डिक्री जारी की
जाती है। पक्षकार अपना खर्चा खुद वहन करेंगे।

आदेश सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

राजस्व लोक अदालत कोलायत-खाजू आयोजित दि 20